रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 21, 2019/फाल्गुन 2, 1940
No. 125] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 21, 2019/PHALGUNA 2, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2019

सा.का.नि. 141(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण (सहायक प्राणिविज्ञानी-समूह-'ख'), भर्ती नियम, 1992, को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण में सहायक प्राणिविज्ञानी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, सहायक प्राणिविज्ञानी, समूह-'ख' पद भर्ती नियम, 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तरः- उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं, आदिः- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताः- वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने, अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणी, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक प्राणिविज्ञानी।	69* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय.	स्तर 7 (44900-142400 रू.).	चयन।	30 वर्ष से अनधिक। टिप्पण-1:- केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण-2:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन को प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। (और न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल तथा स्पीति जिला तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान तथा निकोबार द्वीप अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निहित की गई है)।	आवश्यक :- (i) किसी एक मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्राणिविज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री; (ii) प्राणिविज्ञान में शोध और / या अनुसंधान कार्यों का दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय :- प्राणि विज्ञान के नमूने इकट्ठा करने और उनके परिरक्षण और किसी संग्रहालय या प्राणि-विज्ञान अनुसंधान संस्था में बड़े प्राणि विज्ञान के संग्रह के रख-रखाव और अनुरक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षण/अनुभव। टिप्पण -1:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण-2:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित

						जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधे होगी या/प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे वेतन मैट्रिक्स में स्तर जिससे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आयु-सीमा: नहीं। शैक्षणिक अहर्ताएं: नहीं; किंतु उसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षा संस्थान से प्राणि विज्ञान में स्नातक की डिग्री होना चाहिए।	सीधी भर्ती हुए व्यक्ति के लिए दो वर्ष।	(क) प्रोन्नति द्वारा 66.67 प्रतिशत ; और ख) सीधी भर्ती द्वारा 33.33 प्रतिशत।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 में ऐसे विभागीय वरिष्ठ प्राणिविज्ञान सहायक जिन्होंने उस पद में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है और प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा विहित किये जाने वाले शिक्षा संस्थान से किसी सुसंगत क्षेत्र में की गई दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण.- जहां ऐसे कनिष्ठों, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम ना हो और उन्होंने अगले उच्चतर स्तर में प्रोन्नति हेतू उनके कनिष्ठों, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, सहित परीवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) होंगे:- (क) भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण के प्रभारी सलाहकार या संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय-अध्यक्ष; (ख) निदेशक / उप सचिव (संरक्षण एवं सर्वेक्षण), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय– सदस्य; (ग) निदेशक, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण– सदस्य। विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) होंगे:- (क) भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण के प्रभारी सलाहकार या संयुक्त	सीधी भर्ती के समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

				सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय- अध्यक्ष; (ख) निदेशक / उप सचिव (संरक्षण एवं सर्वेक्षण), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय– सदस्य; (ग) निदेशक, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण– सदस्य।	

[फा. सं. 02/06/2012-सीएसजेड]

मंजु पाण्डे, संयुक्त सचिव (संरक्षण एवं सर्वेक्षण)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2019.

G.S.R. 141(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Zoological Survey of India (Assistant Zoologist Group-B) Recruitment Rules, 1992, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Zoologist in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Zoological Survey of India, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Zoological Survey of India, Assistant Zoologist, Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2019.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix. – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. -The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;
or
(b) who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving -Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, the ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Zoologist.	69*(2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-B Gazetted, non-Ministerial.	Level 7 Rs. 44,900-1,42,400.	Selection.	Not exceeding 30 years Note.1- Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note.2- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipts of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and and Nicobar Islands or Lakshwadweep.).

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) M.Sc. degree in Zoology from a recognised university; and (ii) two years' experience of survey and research work in Zoology. Desirable: Training/ experience in the collection and preservation of Zoological specimens in the field and in handling and maintaining large zoological collections in some museum or Zoological Research Institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of the candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for the reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Age: No Educational Qualification: No, but must possess B.Sc. degree with Zoology from a recognised University or Institute.	Two years for direct recruits.	(i) 66.67 per-cent by promotion; and (ii) 33.33 per-cent by direct recruitment; and

In case of recruitment by promotion or	If Departmental Promotion Committee exists, what	Circumstances in

deputation / absorption levels in pay matrix from which promotion or deputation / absorption is to be made.	is its composition.	which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Senior Zoological Assistant in Level 6 of the pay matrix with five years' service in the grade/level rendered after appointment thereto on a regular basis and having successfully completed mandatory training of two to four weeks in the relevant area to be from the Institute to be prescribed by the administrative Ministry. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or 2 years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.	Departmental Promotion Committee, for considering promotion, consisting of:- (i) Advisor or Joint Secretary in-charge of Zoological Survey of India – Chairman; (ii) Director / Deputy Secretary (Conservation and Survey), Ministry of Environment, Forest and Climate Change – Member; (iii) Director, Zoological Survey of India – Member. Departmental Confirmation Committee, for considering confirmation, consisting of:- (i) Advisor or Joint Secretary in-charge of Zoological Survey of India – Chairman; (ii) Director / Deputy Secretary (Conservation and Survey), Ministry of Environment, Forest and Climate Change – Member; (iii) Director, Zoological Survey of India – Member.	Consultation with Union public Service Commission necessary while making direct recruitment.

[F. No. 02/06/2012-CSZ]

MANJU PANDEY, Jt. Secy. (Conservation and Survey-II)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.02.22 19:56:46 +05'30'